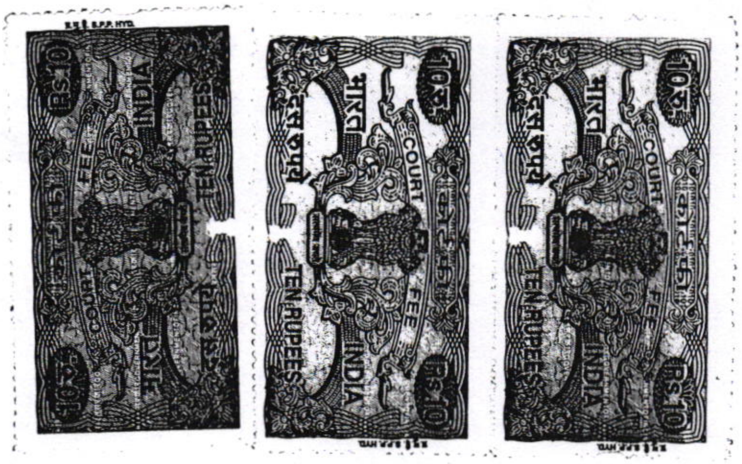

43

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /18 निविदा
म/विविधा/छतरपुर/भू०रा/2018/0386

पुन्ना कोरी पिता स्व. श्री तिजवा कोरी
निवासी ग्राम पीरा तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि.
द्वारा आज दि० 11-1-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 8-2-18 नियत।

11-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 8 म.प्र.भू.रा.सं. वास्ते विक्रय की अनुमति दिये जाने बाबत्।

Bhiraya
प्रदीप नारायण

आवेदक का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण क्रमांक 24 वर्ग क्रमांक अ 19/97–98 न्यायालय नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर ने आवेदक पुन्ना पुत्र तिजवा को वर्ष 97–98 को प्रदान रकवा 15.9/1 में से किता 1 हेक्टेयर का पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया।

2. यहकि, आवेदक के नाम भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में विधिवत आवेदक का नाम दर्ज हुआ।

3. यहकि, आवेदक को उक्त भूमि विधिवत शासन से प्राप्त हुई है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2018/386 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अधीनस्थ नयायालय के किस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है, इस संबंध में किसी आलोच्य आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही तर्कों के दौरान इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह प्रकरण अग्राहय किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	